राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

सीन अधिकारीः– साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बरः–67 / 2017

1. प्रताप सिंह पुत्र रिद्धलाल जाति जाट निवासी बास चुड़ैला तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।

–वादी

बनाम

1. रिद्धलाल पुत्र चिमनाराम जाति जाट निवासी बास चुड़ैला तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
2. रूकमणी पत्नी स्व. जवाहर सिंह जाति जाट निवासी बास चुड़ैला तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
3. संजीव पुत्र स्व. जवाहर सिंह जाति जाट निवासी बास चुड़ैला तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
4. परमेश्वरी पत्नी स्व. भूराराम जाति जाट निवासी बास चुड़ैला तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
5. खेमचन्द पुत्र स्व. भूराराम जाति जाट निवासी बास चुड़ैला तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
6. सुभाष पुत्र स्व. भूराराम जाति जाट निवासी बास चुड़ैला तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
7. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर जिला झुंझुनूं।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांक :– 11.08.2021

निर्णय

वाद वादी इस प्रकार से हैं कि वाके ग्राम बास चुड़ैला पटवार हल्का चुड़ैला के हाल ख.न. 90 रकबा 0.01 है0, ख.न. 91 रकबा 0.02 है0, ख.न. 92 रकबा 2.24 है0, ख.न. 174 / 654 रकबा 0.20 है0 कुल किता 04 कुल रकबा 2.47 है0 गत ख.न. 21 / 1 व 21 / 2 रकबा 9 बीघा 15 बिसवा पुख्ता भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 06 की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। जिसमें प्रतिवादी सं. रिद्धलाल पुत्र चिमनाराम का 0.99 है0 भूमि में से 1 / 2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 को उत्तराधिकार में चिमनाराम से प्राप्त हुई है, इसलिए वादी प्रतिवादी सं. 01 का जायंदा पुत्र होने के कारण उक्त भूमि में स्वयं को 1 / 4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है तथा इसी भांति उक्त भूमि का अलग से खाता विभाजन करवाने का अधिकारी है। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना सूचित किया गया। बाद सूचना प्रतिवादी सं. 01 रिद्धलाल पुत्र चिमनाराम की ओर से अधिवक्ता श्री जाफर अली खान उपस्थित आये तथा अपना जबाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सं. 02 लगायत 07 बाद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं आये, इसलिए उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी सं. 01 रिद्धलाल ने दिनांक 24.02.2021 को न्यायालय में अपने अधिवक्ता के साथ स्वयं उपस्थित होकर आदेशिका पर इस बात का अंकन किया की वाद पत्र में वर्णित भूमि में मेरे हिस्से की भूमि में से मेरा 1 / 4 हिस्सा छोड़कर मेरे तीनों पुत्रों को 1 / 4–1 / 4 हिस्से की भूमि दिये जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं। प्रतिवादी सं. 01 की पहचान उनके अधिवक्ता श्री जाफर अली खान द्वारा की गयी। वकील वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया, दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। उक्त आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बास चुड़ैला पटवार हल्का चुड़ैला के हाल ख.न. रकबा 0.01 है0, ख.न. 91 रकबा 0.02 है0, ख.न. 92 रकबा 2.24 है0, ख.न. 174/654 रकबा 0.20 है0 कुल किता 04 कुल रकबा 2.47 है0 गत ख.न. 21/1 व 21/2 रकबा 9 बीघा 15 बिसवा पुख्ता भूमि में से प्रतिवादी सं. 01 रिद्धलाल पुत्र चिमनाराम के हिस्से के 1/2 हिस्से में से वादी प्रताप सिंह को 1/4 हिस्से, प्रतिवादी सं. 01 को 1/4 हिस्से का, मुकेश पुत्र रिद्धलाल को 1/4 हिस्से का व तथा सुभाष पुत्र रिद्धलाल को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

11/8/21

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

निर्णय आज दिनांक 11.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर